अति तत्काल

संख्या एन-22/2/2021-पी.एण्ड.सी.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 20मई, 2021

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए अप्रैल, 2021 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में अप्रैल, 2021 माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न करने का निदेश हुआ है।

जसवीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अप्रैल, 2021 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां।

1. आवश्यक वस्तुएं:

1.1 कोरोना के मामलों में अचानक आई वृद्धि के कारण अपर सचिव (उ.मा.) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य सामग्रियों, दवाईयां, स्वच्छता उत्पाद तथा सेवाएं सहित आवश्यक वस्तुएं आम जनता को उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं, दिनांक 15.04.2021 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रधान सचिवों को एक अर्द्धशासकीय पत्र भेजा गया है। उनसे आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता और घबराहट में खरीदारी या अत्यधिक मूल्य निर्धारण को कम करने को सुनिश्चित करने के लिए किराना दुकानों और गोदामों, केमिस्टों और फार्मासिस्टों को प्रतिबंध से बाहर रखने का भी अनुरोध किया गया है।

1.2 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य और उपभोक्ता मामले के प्रधान सचिवों के साथ दिनांक 19.04.2021 को देश भर में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों तथा उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी इत्यादि करने वालों पर कार्रवाई करने और प्रभावी निगरानी रखने तथा चल रही महामारी का अनुचित लाभ उठाने वाले कपटी व्यापारियों, डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने और त्वरित निवारण के लिए सक्षम बनाने के लिए हेल्पलाइन स्थापित करें।

2. विधिक मापविज्ञान

विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 से चिकित्सा उपकरणों के आयात को छूट देना।

2.1 महामारी के कारण देश में उभरी श्वसन-रोग संबंधी आपातस्थितियों और अन्य संबंधित जरूरतों के लिए चिकित्सा उपकरणों की भारी मांग को पूरा करने के लिए विभाग विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 33(1) और नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयातों द्वारा देश में लाई गई सामग्रियों पर स्टैम्पिंग या स्टिकर लगाने या ऑनलाइन प्रिंटिंग द्वारा बिक्री की तुरंत घोषणाओं पर छूट के साथ इस एडवाइजरी की तिथि से 3 माह तक के लिए चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए चिकित्सा उपकरणों के आयातकों को अनुमति दी है। आयातकों द्वारा ये घोषणाएं कस्टम क्लीयरेंस के बाद और घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बिक्री से पहले की जाएगी।

2.2 इस अनुमति के तहत जहां आयात किया जाता है, आयात के तुरंत बाद, उक्त चिकित्सा उपकरणों का आयात करने वाले आयातक ऐसे सभी आयातों को आयात की गई मात्रा के साथ राज्य में निदेशक (विधिक मापविज्ञान) और नियंत्रक (विधिक मापविज्ञान) को सूचित करेंगे।

3. भारतीय मानक ब्यूरो:

3.1 पेट्रोल में ईथानॉल ब्लेंडिंग के स्वचालित उपयोग के लिए बी.आई.एस विशिष्टताओं के विकास के संबंध में संयुक्त सचिव (आर) की अध्यक्षता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पेट्रोल में ईथानॉल ब्लेंडिंग के स्वचालित उपयोग हेतु बीआईएस विशिष्टताओं के विकास के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। तेल कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और आईआईपी के निदेशकों को ई 12 और ई 15 ब्लेंडों के लिए भारतीय मानक तैयार करने और ईंधन के रूप में ईथानॉल के लिए आईएस 15464 के संशोधन में सहयोग करने का अनुरोध किया गया था।

3.2 'खादी- भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक के क्षेत्र में मानकीकरण' विषय पर दिनांक 06 अप्रैल, 2021 को नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा ''आजादी का अमृत महोत्सव- भारत @75'' समारोह के भाग रूप में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सूती खादी दरियों पर बहुप्रतीक्षित भारतीय मानक आईएस 17549:2021 भी जारी किया गया।

3.3 बाइंडिंग युक्त या बिना बाइंडिंग वाले ट्रांसफर्मरों (योजना IV के तहत अखिल भारतीय स्तर पर अनुरूपता को पहले प्रमाण-पत्र का अनुमोदन) की मुहरांकन/लेमिनेशन/कोरों के लिए मेसर्स कात्यायनी प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, राजस्थान को प्रथम अखिल भारतीय लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।

3.4 हॉलमार्किंग स्कीम के तहत, 992 नए ज्वैलरों को पंजीकृत किया गया है और 01 नए एसेइंग और हॉलमार्किंग (ए एंड एच) केन्द्र को मान्यता प्रदान की गई है।

3.5 ''बीआईएस डाउन दी मेमोरी लेन'' नामक एक ई-बुक को हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किया गया और बीआईएस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

3.6 बीआईएस को अपनी गतिविधियों पर 35 फिल्में ''बीआईएस टॉक्स'' तैयार कर रहा है। ये फिल्म शैक्षिक प्रकृति की हैं। पहली श्रृंखला (सिरीज) में विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में निर्मित किए गए मानकों को दर्शाते करते हुए 15 फिल्म हैं।

4. मूल्य स्थिरीकरण:

4.1 रबी 2021 के दौरान 2 लाख मीट्रिक टन प्याज और रबी, 2020 के दौरान 1 लाख मीट्रिक टन प्याज के अधिप्रापण और भंडारण के लिए नेफेड को मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत 77.40 करोड़ रूपए की राशि रिलीज की गई थी।